

तारीख  
हुकम

19.12.2014

कमील वाली धारि। धारि होकर कार्रवाई  
पर हुकम यह 125/2015 के हुकम यह  
पेश करके यह कार्रवाई करने से उक्त  
प्रकटा में अग्रिम कार्रवाई नहीं पायी।  
अतः यह पत्र 125/2015 के हुकम यह  
पेश करने की अनुमति के साथ उक्त  
यह पत्र में कार्रवाई होनी पती है।  
पत्रावली के लिये हुकम होकर पत्रावली में  
नी। आदेश सुनपा गया।

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

कार्रवाई  
माख्या-2  
के लिये  
कार्रवाई  
की जायेगी  
दाफ्त  
में  
प्रकटा-2  
125/15 बाद  
में हुकम बाद  
पेश करके बाद  
कार्रवाई करके  
कार्रवाई करके  
में अग्रिम  
कार्रवाई के  
आदेश सुनपा गये

दाफ्त

रिख  
हुकम